प्रेस नोट

थाना नवाबाद ,झांसी

दिनांक 09.03.2026

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **अपहरण की घटना का सफल अनावरण, अपहृत युवक सकुशल बरामद**
- **02 बाल अपचारी व 15,000 रू0 के इनामिया अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार,**
- **कब्जे से घटना में प्रयुक्त थार व अवैध असलहा-कारतूस बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनाँक 09.03.2026 को थाना नवाबाद पुलिस टीम थाना क्षेत्र में घटित अपहण की घटना की सफल अनावरण करते हुये घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों 1- अरुण यादव बाबरी पुत्र विनोद कुमार यादव बाबरी थाना चिरगांव जिला झांसी उम्र करीब 25 वर्ष(15,000 रू0 का इनामिया) 2- हर्ष यादव पुत्र नीरज कुमार यादव निवासी बिरगुआ थाना बड़ागांव जिला झाँसी उम्र करीब 20 वर्ष 3- 02 बाल अपचारी को पुलिस मुठभेड में अवैध असलहा-कारतूस व घटना कारित करने में प्रयुक्त थार के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 08.03.2026 को वादी श्री अभय कुशवाहा ऊर्फ गुल्लू पुत्र सुनील कुशवाह निवासी राजपूत कॉलोनी थाना नवाबाद जिला झांसी के द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 07.03.2026 को समय करीब 22.35 बजे वह अपने मित्र ऋषभ राय पुत्र बृजेश राय निवासी शिवाजीनगर तथा राज पाठक पुत्र अज्ञात, जो पंचमुखी हनुमान जी के पास किराये पर रहते हैं, के साथ थाना नवाबाद क्षेत्र में बुलेट मोटरसाइकिल से जा रहे थे तभी अरुण यादव पुत्र विनोद माते निवासी बावरी गांव, थाना चिरगांव अपने 03–04 अज्ञात साथियों के साथ बिना नंबर की थार गाड़ी से आया और फायरिंग करते हुए राज पाठक को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गये।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना नवाबाद पर मु0अ0सं0- 117/26 धारा 281, 109(1),140(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था । अपहृत युवक की सकुशल बरामदगी व घटना के सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीमो का गठन करते हुए अभि0 अरूण यादव उपरोक्त पर 15,000 रू0 का इनाम घोषित किया गया था।

आज दिनांक 09.03.2026 को समय करीब 01:55 बजे मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अपहृत राज पाठक उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र मनोज पाठक निवासी बनिया पुल के सामने, चौकी क्षेत्र विश्वविद्यालय, थाना नवाबाद जनपद झाँसी को पुलिस द्वारा पैरामेडिकल रोड से कृष्णा रेजिडेंसी की ओर जाने वाले मार्ग पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान सकुशल बरामद कर लिया गया। मौके से अभियुक्तगण 1- अरुण यादव बाबरी पुत्र विनोद कुमार यादव बाबरी निवासी थाना चिरगांव जनपद झाँसी उम्र करीब 25 वर्ष 2- हर्ष यादव पुत्र नीरज कुमार यादव निवासी बिरगुआ थाना बड़ागांव जनपद झाँसी उम्र करीब 20 वर्ष तथा 02 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त रजत यादव निवासी सिमथरा थाना भांडेर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर प्रयास किए जा रहे हैं। **अभियुक्तगण द्वारा अपहृत युवक को छोड़ने के बदले 02 लाख रू0 की फिरौती मांगी जा रही थी।** मौके से अपहरण में प्रयुक्त **थार गाड़ी, 01 अदद तमंचा व 01 कारतूस** बरामद किया गया है तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

***गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता*-**

1. अरुण यादव बाबरी पुत्र विनोद कुमार यादव बाबरी थाना चिरगांव जिला झांसी उम्र करीब 25 वर्ष
2- हर्ष यादव पुत्र नीरज कुमार यादव निवासी बिरगुआ थाना बड़ागांव जिला झाँसी उम्र करीब 20 वर्ष
3- 02 बाल अपचारी

***बरामदगी*-**

1- घटना में प्रयुक्त थार बिना नम्बर के
2- 01 अदद तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस

***गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम* -**

1.प्रभारी निरीक्षक नवाबाद मय पुलिस टीम